



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैपस,
नई दिल्ली -110067

डायरी संख्या: 154893 दिनांक 14.11.2019

दिनांक : 14.01.2020

सेवा में,

मान्य, एन.टी.आई. - 140104

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 05.11.2019, इस रजिस्ट्री को दिनांक 14.01.2020 को डायरी संख्या 154893 के तहत अपीलार्थी को सूचना प्रदान करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ। जिसका उत्तर बिन्दुअनुसार इस प्रकार है:-

1. डायरी नम्बर 149355/2019 लौटने का कारण इस कमीशन द्वारा जारी सुविधा ज्ञापन (Diary No. 149355/2019) दिनांक 15.10.2019 जिसकी कमीशन के सॉफ्टवेयर से निकली गई प्रति सुलभ हेतु सलंगन है। रूल के लिए आप कृपया Rule 8 of RTI Rules 2012 (जो कि Public domain में है) का अवलोकन करें जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि द्वितीय अपील के साथ कौन से कागजात सलंगन करना आवश्यक है।

2&3 कृपया section 19 (6) of RTI Act-2005 (जो कि Public domain में है) का अवलोकन करें।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता इस प्रकार है :- प्रथम अपीलीय अधिकारी, कमरा न .502, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैपस, नई दिल्ली 110067। उनका दूरभाष नं. 011-26162290 है।

सलंगन : उपरोक्त

or

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप सचिव/सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

दूरभाष नं. - 011-26186536

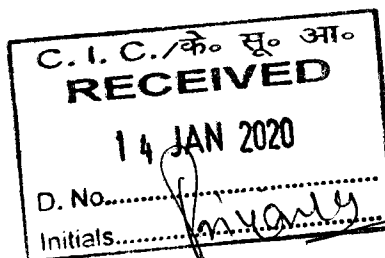
प्रतिलिपि : केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Am
14/01/20

or

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप सचिव/सी पी आई ओ





Central Information Commission

CIC Bhawan, Baba Gangnath Marg, Munirka,
New Delhi - 110 067

DATE : 15-10-2019

Diary No: 149355 / 2019

To:

Ajay Malik
H NO 2358, Near Brahman Dharmshala,
Sangma Car washing Wali gali,
, Jind
Haryana - 126102

Subject:- Return of Premature Second Appeal.

Madam/Sir,

Reference your Second Appeal dated 07-10-2019 received on 14-10-2019 vide above Diary Number.

2. On scrutiny of the Second Appeal, it is seen that the same has the following deficiencies, which are required to be removed:

- You have filed the Second Appeal without waiting for 45 days from the date of filing the first Appeal.

Your above mentioned Second appeal is therefore returned, for removing the deficiencies. You are requested to send Second Appeal complete in all respects.

While sending the Second Appeal a copy of this letter may also be enclosed.

Enclosed as above

Deputy Registrar(CR)

सेवा में

जनसूचना अधिकारी

केन्द्रीय सूचना आयोग

New delhi

विषय, आरटीआई एक्ट 2005 के अर्तगत

निवेदन यह है मैं आरटीआई एक्ट 2005 के अर्तगत निम्न प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ

1. dary number 149355/2019 लौटाने का करण बताए और साथ में नियमों की कापी भी दे
- 2 प्रथम अपील करने बाद यदि प्रथम अपील अधिकारी का रिस्पास न आए कम से कम कितने समय में आयोग में अपील कर सकते हैं साथ में नियमों की कापी भी दे
- 3 प्रथम अपील करने बाद यदि प्रथम अपील अधिकारी का रिस्पास न आए कम से कम 45 दिन का समय आयोग में होना चाहिए ये नियम कब आया साथ में नियमों की कापी भी दे इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैंने 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर लगाया है जिसका नम्बर

मेरी आरटीआई गलत विभाग में चली जाती है के 6.3 तहत सही विभाग में पहुँचाए

धन्यवाद

अजय मलिक हाउस न 2358

एकता नगर नजदीक ब्रह्ममण धर्मशाला

संगमा कार वाशिंग वाली गली जीद .126102 हरियाणा

मोब . 8295898366

Date 5/11/2019



[Handwritten signature]

This is a RTI application ~~sent~~ sent with a Second Appeal. Appellant also enclosed 100 as fee towards RTI application. Inadvertently, the 100 ~~was~~ got attached with the second appeal and returned to the appellant vide FM (No. 155572/19) dt 21.11.19. The SA has separately been registered vide No CIC/69510/A/2019/154893. But action is to be taken on this RTI application. Accordingly may kindly see ~~RTI for receipt enclosed.~~ ~~100 (RTI cell)~~ ~~13.11.19~~

154893
14/11/19